"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 नवम्बर 2016—कार्तिक 27, शक 1938

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2016

क्रमांक ई-1-15/2016/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2001 आवंटन वर्ष की श्रीमती शहला निगार को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अधिसमय वेतनमान (पे बैंड-4, रु. 37400-67000, ग्रेड पे रु. 10000/-) में पदोन्नत कर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के पद पर पदस्थ करता है.

2. इस विभाग के पत्र क्र. ई-1-15/2016/2, दिनांक 07-09-2016 द्वारा भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

अधिसमय वेतनमान में रिक्ति निर्धारण हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम-3 (2) (iii) के तहत 30 दिवस के भीतर सरकार की सहमति प्राप्त न होने के कारण भारत सरकार की सहमति मानी गई है.

3. श्रीमती शहला निगार, भा.प्र.से. आगामी Mid-Career Training (Phase-IV) में अनिवार्य रूप से भाग लेंगी.

नया रायपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2016

क्रमांक ई 1-19/2016/1/2.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग को आवंटित भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2014 बैच के निम्नलिखित परिवीक्षाधीन अधिकारियों को लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में फेस-दो के प्रशिक्षण संपन्न करने तथा भारत सरकार में पदस्थापना अवधि समाप्त होने के पश्चात् छ.ग. राज्य में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 3 में दर्शित पद पर पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	पदस्थापना (3)
1.	सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड, जिला बिलासपुर
2.	श्री ऋतुराज रघुवंशी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मानपुर-मोहला, जिला राजनांदगांव
3.	श्री कुंदन कुमार	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर
4.	श्री एस. जयवर्धन	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा, जिला रायगढ़
5.	श्री कुलदीप शर्मा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बगीचा, जिला जशपुर
6.	श्री अमृत विकास तोपनो	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रामानुजगंज, जिला बलरामपुर

नया रायपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2016

क्रमांक ई-1-1-2016/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा, भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त् उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 3 में दर्शित पद पर पदस्थ करता है :—

स. क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	नवीन पदस्थापना (3)
1.	श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी (भा.प्र.से.-2008) मिशन डायरेक्टर, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	उप सचिव, महिला, बाल विकास विभाग तथा योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग.
2.	श्री के. एल. चौहान, (भा.प्र.से.-2009) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर.	अपर कलेक्टर, जिला-सरगुजा
3.	श्री पी. एस. एल्मा, (भा.प्र.से.-2010) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, धमतरी.	अपर कलेक्टर, जिला-दुर्ग
4.	श्री भोस्कर विलास संदीपन (भा.प्र.से.-2011) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरबा.	मिशन डायरेक्टर, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
5.	श्री संजीव कुमार झा, (भा.प्र.से.-2011) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सूरजपुर.	अपर आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, रायपुर
6.	श्री जे. श्रीराम, (भा.व.से.-2009), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दंतेवाड़ा	वन विभाग को सेवायें वापस

(1)	(2)	(3)
7.	श्री अजीत वसंत, (भा.प्र.से.-2013) अनुविभागीय अधिकारी, मानपुर-मोहला, जिला राजनांदगांव.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर
8.	श्री गौरव कुमार सिंह, (भा.प्र.से.-2013) अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली, जिला-महासमुन्द.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दंतेवाड़ा
9.	श्री विनीत नंदनवार, (भा.प्र.से.-2013) अनुविभागीय अधिकारी, घरघोड़ा, जिला-रायगढ़.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, धमतरी
10.	श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल, (भा.प्र.से.-2013) अनुविभागीय अधिकारी, भानुप्रतापपुर, जिला-कांकेर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरबा
11.	श्री जगदीश सोनकर, (भा.प्र.से.-2013) अनुविभागीय अधिकारी, रामानुजगंज, जिला-बलरामपुर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सूरजपुर
12.	श्री राजेन्द्र कुमार कटारा, (भा.प्र.से.-2013) अनुविभागीय अधिकारी, बगीचा, जिला-जशपुर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बालोद

नया रायपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2016

क्रमांक ई-1-1-2016/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा, विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25-10-2016 द्वारा श्री अजीत वसंत, (भा.प्र.से.-2013) को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर के पद पर पदस्थ किया गया है. उक्त आदेश में संशोधन करते हुए श्री अजीत वसंत को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त् मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जांजगीर-चांपा के पद पर पदस्थ करता है.

2. विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25-10-2016 के द्वारा श्री के. एल. चौहान, (भा.प्र.से.-2009) को अपर कलेक्टर, सरगुजा के पद पर पदस्थ किया गया है. श्री के. एल. चौहान, (भा.प्र.से.-2009) का अपर कलेक्टर, सरगुजा पद पर किया गया स्थानांतरण निरस्त करता है.

3. श्री विश्वेश कुमार (भा.व.से.-2007), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जांजगीर-चांपा के सेवायें वनमण्डलाधिकारी, बलौदाबाजार के पद पर पदस्थ किए जाने हेतु, वन विभाग को वापस करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2016

क्रमांक एफ 5-5/2016/1 (एक).—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक गुप्ता मुख्य न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 03-10-2016 से 07-10-2016 (05 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश Proceeding on L.T.C. हेतु एवं अवकाश पूर्व (शनिवार-रविवार छुट्‌टी) दिनांक 1 एवं 2 अक्टूबर, 2016 एवं अवकाश पश्चात् 8 से 16 अक्टूबर, 2016 सार्वजनिक अवकाश का लाभ लेने की स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, संयुक्त सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2016

क्रमांक 2974/एफ-21/05/2012/13/2/ऊ.वि./प्रत्याभूति.—राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे तालिका में दर्शाये अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित रायपुर को वर्किंग केपिटल की व्यवस्था हेतु यूनियन बैंक आफ इण्डिया तथा स्टेट बैंक आफ इण्डिया से राशि रुपये 500 करोड़ के कैश क्रेडिट की सुविधा हेतु बिना प्रत्याभूति शूल्क भुगतान के राज्य शासन की गारंटी प्रदान करता है :—

क्रमांक	बैंका का नाम	कैश क्रेडिट की सीमा	गारंटी की अवधि
1.	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	रुपये 500 करोड़	01-01-2016 से 31-07-2016 तक
2.	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	रुपये 250 करोड़	01-08-2016 से 31-12-2016 तक
3.	स्टेट बैंक आफ इण्डिया	रुपये 250 करोड़	01-08-2016 से 31-12-2016 तक

2. उपरोक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रभावशील रहेगी :—

2.1 शासन की प्रत्याभूति जो दिनांक 31-12-2016 तक है की वैधता की अवधि में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा समय-समय पर वर्किंग केपिटल की आवश्यकता ऊपर तालिका में दर्शाये बैंक के समक्ष दर्शाई सीमा में कैश क्रेडिट सुविधा का लाभ प्राप्त किया जाए.

2.2 युनियन बैंक आफ इण्डिया एवं स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा स्वीकृत कैश क्रेडिट सुविधा के अंतर्गत आहरित वर्किंग केपिटल की राशि पर देय ब्याज के भुगतान की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा संबंधित बैंकों में पृथक से निधियों (Fund) संधारित किया जाए ताकि देय ब्याज का भुगतान नियमित रूप से किया जा सकेगा.

2.3 युनियन बैंक आफ इण्डिया एवं स्टेट बैंक आफ इण्डिया की कैश क्रेडिट संबंधी बाध्यताओं पर पालन सुनिश्चित करने दायित्व छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड पर रहेगा.

2.4 शासन की प्रत्याभूति के विरुद्ध आहरित राशि केवल वर्किंग केपिटल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए है अत: आहरित राशि का उपयोग किसी भी दशा में अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जा सकेगा.

2.5 युनियन बैंक आफ इण्डिया एवं स्टेट बैंक आफ इण्डिया से कैश क्रेडिट सुविधा अंतर्गत प्राप्त आहरित राशि के व्यय तथा जमा की गई राशि का विस्तृत लेखा रखा जायेगा और शासन की आवश्यकता पर इस हेतु जानकारी उपलब्ध कराई जाए.

2.6 छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के संचालक मण्डल द्वारा कैश क्रेडिट सुविधा हेतु पारित संकल्पों/निर्णयों/जारी किए गए निर्देशों की जानकारी राज्य शासन को पृष्ठांकित की जाए.

2.7 छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, युनियन बैंक आफ इण्डिया एवं स्टेट बैंक आफ इण्डिया को धनराशि का भुगतान नियमित किया जाएगा एवं चूक होने पर इसकी जानकारी तत्काल राज्य शासन के संज्ञान में लायी जावेगी.

2.8 इस प्रत्याभूति के विरुद्ध अर्जित निधियों से वितरित ऋणों की वसूली एवं कालातीत होने की दशा में उसके तथ्य की विस्तृत एवं स्पष्ट सूचना छ.रा. विद्युत वितरण कंपनी द्वारा यथाशीघ्र शासन को दी जाए.

2.9 राज्य शासन बिना पूर्व सूचना दिये, जो उचित एवं आवश्यक समझेगी नवीन ऋण प्राप्त करने को तथा नवीन ऋणों के वितरण को निषिद्ध कर सकेगी.

2.10 अन्य कोई शर्त अथवा शर्तें जिसे या जिन्हें आवश्यक समझा जाएगा, आगे कभी भी अधिरोपित करने के लिए राज्य शासन सक्षम रहेगा.

2.11 उपरोक्त शर्तों के अधीन युनियन बैंक आफ इण्डिया एवं स्टेट बैंक आफ इण्डिया से कैश क्रेडिट की सुविधा अंतर्गत राशि आहरण हेतु कंपनी के सक्षम स्तर की स्वीकृति प्राप्त करने का दायित्व स्वयं छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड पर रहेगा.

2.12 छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा यूनियन बैंक आफ इण्डिया तथा स्टेट बैंक आफ इंडिया से राज्य शासन की गारंटी के अधीन कैश क्रेडिट की सुविधा प्राप्त करने के लिए इस हेतु Prescribed Formet में अलग-अलग "गारंटी डीड" के निष्पादन हेतु विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को अधिकृत किया जाता है.

यह आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावशील होगा.

नया रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2016

क्रमांक 2976/एफ-13/02/2016/13/2/ऊ.वि./गारंटी.—राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे तालिका में दर्शाये अनुसार कृषक जीवन ज्योति योजना अंतर्गत सिंचाई पंप तथा एकलबत्ती कनेक्शन अंतर्गत बीपीएल उपभोक्ताओं को दी जा रही नि:शुल्क विद्युत की सुविधा हेतु देय राशि की प्रतिपूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित रायपुर को वर्किंग केपिटल के मद में नीचे तालिका में दर्शाये अनुसार युनियन बैंक आफ इण्डिया, पॉवर फाईनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी लिमिटेड) तथा रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड (आरईसी लिमिटेड) से राशि रुपये 1955 करोड़ के ऋण की सुविधा हेतु बिना प्रत्याभूति शूल्क भुगतान के राज्य शासन की गारंटी प्रदान करता है :—

वित्तीय संस्था	प्रस्तावित ऋण	ब्याज दर
यूनियन बैंक आफ इण्डिया रायपुर	500	9.65 % p.a. (MCLR + 0.2 %) Monthly payable
यूनियन बैंक आफ इण्डिया रायपुर	265	9.65 % p.a. (MCLR + 0.2 %) Monthly payable
Power Finance corporation (PFC)	595	10.25% p.a. Quarterly Payable
Rural Electrical corporation (REC)	595	10.25% p.a. Quarterly Payable

2. उपरोक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रभावशील रहेगी :—

2.1 छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को युनियन बैंक आफ इण्डिया, पॉवर फाइनेन्स कार्पोरेशन एवं ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (REC) से ऊपर तालिका में दर्शाये अनुसार 05 वर्ष की अवधि के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु राज्य शासन की गारंटी बिना गारंटी शुल्क के प्रदाय के प्रभावशील रहेगी.

2.2 उपरोक्त ऋण ब्याज सहित राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को 05 वर्ष की अवधि में भुगतान करना होगा, जिसमें एक वर्ष की moratorium अवधि सम्मिलित है.

2.3 युनियन बैंक आफ इण्डिया, पॉवर फाइनेन्स कार्पोरेशन एवं ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (REC) की ऋण संबंधी बाध्यताओं पर पालन सुनिश्चित करने का दायित्व छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लमिटेड पर रहेगा.

2.4 इस प्रत्याभूति के विरुद्ध प्राप्त राशि का उपयोग केवल स्वीकृत प्रयोजन के लिए किया जा सकेगा. अत: उक्त राशि का किसी भी दशा में अन्य प्रयोजन में उपयोग प्रतिबंधित रहेगा.

2.5 छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा युनियन बैंक आफ इण्डिया, पॉवर फाइनेन्स कार्पोरेशन एवं ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (REC) से प्राप्त ऋण सुविधा अंतर्गत प्राप्त राशि का विस्तृत लेखा रखा जायेगा और इससे राज्य शासन को समय-समय पर अवगत कराया जाए.

2.6 छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा इससे संबंधित सभी संकल्पों/निर्णयों/जारी किए जाए निर्देशों की प्रतिलिपि राज्य शासन को पृष्ठांकित की जाए.

2.7 छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड युनियन बैंक आफ इण्डिया, पॉवर फाइनेन्स कार्पोरेशन एवं ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (REC) को धनराशि का भुगतान करने की प्रत्येक चूक, यदि ऐसा हो, से तत्काल राज्य शासन को अवगत कराया जाए.

2.8 इस प्रत्याभूमि के विरुद्ध अर्जित निधियों से वितरित ऋणों की वसूली एवं कालातीत होने की दशा में उसके तथ्य की विस्तृत एवं स्पष्ट सूचना यथाशीघ्र शासन को दी जाए.

2.9 राज्य शासन बिना पूर्व सूचना दिये, जो उचित एवं आवश्यक समझेगी नवीन ऋण प्राप्त करने को तथा नवीन ऋणों के वितरण को निषिद्ध कर सकेगी.

2.10 राज्य शासन द्वारा अन्य कोई शर्त अथवा शर्तें जिसे या जिन्हें आवश्यक समझा जाएगा, आगे कभी भी अधिरोपित किया जा सकेगा.

2.11 उपरोक्त शर्तों के अधीन युनियन बैंक आफ इण्डिया, पॉवर फाइनेन्स कार्पोरेशन एवं ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (REC) से ऋण की सुविधा अंतर्गत राशि आहरण हेतु कंपनी के सक्षम स्तर की स्वीकृति प्राप्त करने का दायित्व छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड पर रहेगा.

2.12 राज्य शासन की गारंटी के अधीन प्राप्त किए गए ऋण की राशि रुपये 1955 करोड की ब्याज सहित वापसी का दायित्व राज्य शासन पर रहेगा.

2.13 छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा युनियन बैंक आफ इण्डिया, पॉवर फाईनेन्स कार्पोरेशन तथा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन से राज्य शासन की गारंटी के अधीन ऋण प्राप्त करने के लिए इस हेतु Prescribed Format में अलग-अलग गारण्टी डीड के निष्पादन हेतु विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को अधिकृत किया जाता है.

यह आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. रत्नम, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2016

क्रमांक 1239/एफ 1-7/2007/13/1.—राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ 1-7/चयन समिति/ऊ.वि./2007/13/1 नया रायपुर दिनांक 31-08-2016 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के सदस्य के चयनार्थ चयन समिति का गठन किया गया था. चयन समिति द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36, सन् 2003) की धारा-85 की उपधारा (4) के प्रावधानों के अनुसार सदस्य की नियुक्ति हेतु अपनी अनुशंसा राज्य शासन को प्रस्तुत की गई है.

2. समिति के अनुशंसा पर विचारोपरांत राज्य शासन एतद्द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36, सन् 2003) की धारा-82 की उपधारा, (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अरूण कुमार शर्मा, एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर, (कंसेल्टेंसी), एनटीपीसी (सेवानिवृत्त) को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का सदस्य नियुक्त करता है.

3. श्री अरूण कुमार शर्मा की नियुक्ति, कार्यभार ग्रहण करने के तारीख से पांच वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो पहले हो, के लिए होगी.

4. यह आदेश दिनांक 29-10-2016 से प्रभावशील होगा.

5. श्री अरूण कुमार शर्मा को देय वेतन, भत्ते के संबंध में पृथक से आदेश जारी किए जावेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2016

क्रमांक एफ 3-7/2014/38-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे, पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम 2004 की धारा 22 (1) (तीन) के प्रावधानानुसार कुशाभाऊ ठाकरे, पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर के कार्यपरिषद् हेतु छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय का पत्र क्रमांक 9612/वि.स./विधान/2016 दिनांक 19-08-2016 के आधार पर छत्तीसगढ़ विधान सभा के निम्नलिखित माननीय सदस्यों को मनोनीत किया जाता है :—

क्र. (1)	नाम (2)	पता (3)
1.	श्री देवजी भाई पटेल, 47-धरसींवा	सरस्वती सॉ मिल, फाफाडीह, रायपुर जिला-रायपुर छ.ग. दूरभाष-0771-2881700, मोबाईल-094252-03192.
2.	श्री नवीन मारकण्डेय, 52-आरंग (अ.जा.)	महंत फर्नीचर, जीवन बीमा मार्ग, पंडरी, रायपुर, जिला-रायपुर छ.ग. मोबाईल-093291-01724, मोबाईल-099774-21158.
3.	श्री धनेन्द्र साहू 53-अभनपुर	संतोषी नगर, गुडलक प्लास्टिक फैक्ट्री के पास, टिकरापारा, रायपुर जिला-रायपुर छ.ग. मोबाईल-094252-03288.

माननीय सदस्यों का कार्यकाल छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे, पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम 2004 की धारा 22 (2) में दिये गये प्रावधानानुसार दो वर्ष का होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नलिनी माथुर, अवर सचिव.

कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2016

क्रमांक/13840/डी-15/116/पार्ट-3/2004/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा-69 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र./10387/डी-15/116/भाग-तीन/2004/14-2 रायपुर दिनांक 04-03-2015 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,—

1. शब्द "दलहन, तिलहन, गेहूं" के पश्चात्, शब्द "एवं अन्य कृषि अधिसूचित उपज" का लोप किया जाये.

2. यह अधिसूचना 4 मार्च, 2015 से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2016

क्रमांक/13840/डी-15/116/पार्ट-3/2004/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/13840/डी-15/116/पार्ट-3/2004/14-2, दिनांक 24-10-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

New Raipur, the 24th October 2016

No. 13840/D-15/116/Part-III/2004/14-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 69 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, makes the following amendment in this Department's Notification No. /10387/D-15/116/Part-III/2014-14-2, Raipur, dated 04-03-2015, namely :—

AMENDMENT

In the said notification,—

1. After the words "Pulses, Oilseeds, wheat" the words "and other notified agriculture produce" shall be omitted.

2. This notification shall come into force from 4th March, 2015.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. C. PAIKARA, Joint Secretary.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2016

क्रमांक एफ 1-10/2006/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 की धारा-4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री योगेश चंद्र शर्मा, (अधिवक्ता) गीताजंली सिटी फेस 2, बहतराई रोड, बिलासपुर को छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल में अध्यक्ष के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2016

क्रमांक एफ 10-13/2015/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 की धारा 18(3) सहपठित नियम 2008 के नियम 251 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मोहन एन्टी (अधिवक्ता) रमन मंदिर के पास, फाफाडीह, रायपुर को छत्तीसगढ़ भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार मण्डल में अध्यक्ष के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, प्रमुख सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2016

क्रमांक एफ 10-7/2016/16.—छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 की धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन छत्तीसगढ़ श्रम विभाग के समस्त श्रम निरीक्षक/श्रम उप निरीक्षक एवं श्रम कल्याण मंडल द्वारा नियुक्त कल्याण निरीक्षक/कल्याण पर्यवेक्षक को इस धारा के प्रयोजन हेतु निरीक्षक नियुक्त करता है.

नया रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2016

क्रमांक एफ 1-10/2016/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 की धारा-4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सुभाष तिवारी, रायपुर को छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल में उपाध्यक्ष के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष के लिए मनोनित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2016

क्रमांक एफ 1-20/2014/स्था./चार.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16-09-2016 के अनुक्रम में उक्त आदेश के कंडिका 1 की तालिका के सरल क्रमांक-8 पर दर्शित श्री शशि कुमार चौधरी एवं सरल क्रमांक-9 पर दर्शित सुश्री वंदना बिसेन को राज्य शासन एतद्द्वारा कार्यभार ग्रहण किए जाने हेतु निर्धारित अवधि में एक माह की वृद्धि करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सिंह, उप-सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2016

क्रमांक एफ 2-18/2010/नौ/55-तीन.—''छत्तीसगढ़ आयुष स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा नियम, 2014'' में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 08-10-2015 द्वारा किए गए संशोधन की कंडिका-3, राज्य शासन द्वारा, विलोपित की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. टण्डन, अपर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 5 जुलाई 2016

क्रमांक 01/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	ठकुरदेवा प.ह.नं. 44	3.15	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ.ग.).	ठकुरदेवा व्यपवर्तन योजना के शीर्ष एवं नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मस्तूरी, जिला-बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 17 अगस्त 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-तमनार
- (ग) नगर/ग्राम-कांटाझरिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.282 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	73	0.486
	79/9	0.166
	26/3	0.210
योग	03	0.862

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना डूबान हेतु पूरक भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 अगस्त 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 20/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-तमनार
- (ग) नगर/ग्राम-भैंसगढ़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.105 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	14/1	0.105
योग	01	0.105

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के अन्तर्गत डूबान हेतु पूरक भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

कबीरधाम, दिनांक 17 अक्टूबर 2016

क्रमांक 971/नग्रानि/कबीरधाम/स्ट्र.प्लान पांडातराई/2016.— छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 (1) के अनुसरण में पांडातराई निवेश क्षेत्र में सम्मिलित 14 ग्रामों के लिए वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन किया गया था.

अत: एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश कवर्धा द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट पांडातराई निवेश क्षेत्र में सम्मिलित 14 ग्रामों के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को तद्नुसार सम्यक रूप से दिनांक 21-10-2016 को अंगीकृत किया जाता है एवं इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15(4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक रूप से तैयार कर अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

पांडातराई निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम मदनपुरखुर्द, छांटा एवं मडमडा ग्राम की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम मडमडा, सरईपतेरा कला एवं चरखुरा ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम चरखुरा, नवागांवकला, डोंगरियाकला एवं पुतकीकला ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम पुतकीकला, दशरंगपुर, रोहरा, लडुवा एवं मदनपुरखुर्द ग्राम की पूर्वी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

No. 971/ELU/TCP/2016.—The existing land use map for the Pandatrai Planning Area of 14 villages have been included for which the existing land use maps and register was published under Sub Section (1) of Section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) .

Therefore, a notice is hereby given for the general information of the public that the existing land use maps and register of Pandatrai Planning Area of 14 villages have been included for which the existing land use maps and register so prepared and published are duly adopted by the Assistant Director, Town & Country Planning Kawardha under the provision of sub-section 3 of Section 15 of the said adhiniyam and a copy of the notice is also sent for its publication in Chhattisgarh Gazette, under the provision of sub-section (4) of section 15 of the said adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps and register have been duly prepared and adopted on dt. 21-10-2016.

SCHEDULE

Limit of Pandatrai Planning Area

NORTH	:	Village-Madanpur Khurd, Village-Chhata & upto Northern limit of village-Madmada.
WEST	:	Village-Madmada, Village-Saraipatera Kala & upto Western limit of Village-Charkhura.
SOUTH	:	Village-Charkhura, Village-Navagaonkala, Village-Dongariyakala & upto Southern limit of village-Putkikala.
EAST	:	Village-Putkikala, Village-Dashrangpur, Village-Rohara, Village-Ladua & upto Eastern limit of Village-Madanpur khurd.

Above stated adopted map and register would be available for general inspection in following office for 15 days of working time (excepting holidays) since the date of publishing on the Gazette of Chhattisgarh.

Inspection Site : Office of the Asst. Director, Town & Country Planning, Kawardh, Distt.-Kabirdham (C.G.)

प्रीति देवांगन
सहायक संचालक.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 24 अक्टूबर 2016

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखिये)

क्रमांक 114/बी-121/2015-16.—राज्य सरकार ने छ.ग. भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ को अधिसूचना क्रमांक 115/बी-121/2015-16 दिनांक 23 अगस्त 2016 द्वारा उक्त अधिसूचना के संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एनटीपीसी लारा परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09 सितम्बर 2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी बिल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम /प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	गोतमा/34	12/2	0.102
			334/3	0.152
			932/2	0.032
		योग	**3**	**0.286**

रायगढ़, दिनांक 24 अक्टूबर 2016

प्रारूप–घ

(नियम 6 देखिये)

क्रमांक 115/बी-121/2015-16.—राज्य सरकार ने छ.ग. भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ को अधिसूचना क्रमांक 115/बी-121/2015-16 दिनांक 23 अगस्त 2016 द्वारा उक्त अधिसूचना के संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एनटीपीसी लारा परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09 सितम्बर 2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी बिल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम /प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	सिहा/35	446/2क	0.016
			446/2ख	0.016

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			469	0.020
			463/5	0.059
			335/7	0.135
			437	0.012
			451/1	0.210
		योग	**7**	**0.468**

रायगढ़, दिनांक 25 अक्टूबर 2016

प्रारूप-ख
[नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 10/बी-121/2016-17.—राज्य सरकार को लोक हित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडीह, प.ह.नं., तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग. से परिवहन हेतु ग्राम लारा प.ह.नं. 40, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड ग्राम लारा द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम ओड़ेकेरा, प.ह.नं. 33, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छ.ग. भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम /प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	ओड़ेकेरा/33	4/3	0.093
			6/3	0.060
			6/7	0.021
		योग	**3**	**0.174**

टीप :— भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 अक्टूबर 2016

प्रारूप-ख

[नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 11/बी-121/2016-17.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडीह, प.ह.नं., तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग. से परिवहन हेतु ग्राम लारा प.ह.नं. 40, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड ग्राम लारा द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम टपरदा, प.ह.नं. 24, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छ.ग. भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम /प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	टपरदा/24	6/8	0.016
			6/13	0.036
		योग	**2**	**0.052**

टीप :— भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

पी. के. सर्वे,
सक्षम प्राधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 20th October 2016

No. 740/Confdl./2016/II-2-1/2016.—The following member of Higher Judicial Service as specified in Column No. (2) of the table below, is transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and is posted as District Judge from the date he assumes charge of his office and ;

The following member of Higher Judicial Service is appointed as Sessions Judge of the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Rajesh Kumar Shrivastava. Special Judge under S. C. & S.T. (P.A.) Act.	Durg	Janjgir-Champa	Janjgir-Champa	District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 20th October 2016

No. 742/Confdl./2016/II-2-1/2016.—The following member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, is hereby transferred from the place mentioned in Column No. (3) and posted on the post of Special Judge of the Special Court established by the State Government under Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 at the place mentioned in Column No. (4) from the date he assumes charge of his office and ;

The following member of Higher Judicial Service is appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Mansoor Ahmed, IV Additional District & Sessions Judge.	Durg	Durg	Durg	Special Juege under SC & ST (P.A.) Act.

Bilaspur, the 21st October 2016

No. 748/Confdl./2016/II-2-1/2016.—(A) The Sessions Judge, Balod is, hereby, assigned the additional charge of the Court of Additional District & Sessions Judge (F.T.C.), Balod until further orders.

(B) The Additional Sessions Judge, Kondagaon is, hereby, assigned the additional charge of the Court of Additional District & Sessions Judge (F.T.C.), Kondagaon until further orders.

By ordre of the High Court,
ARVIND SINGH CHANDEL, Registrar General.